न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 07 / 2018

1. प्रभू देवी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. सीता पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. कौशल्या पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. गणेश नारायण पुत्र स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. नर्बदा पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
6. विश्राम पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति–बारा गांव ब्राह्मण, निवासी–सुल्तानिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोहरू, जाति–जाट, निवासी– चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. रामलाल उर्फ रामरतन पुत्र मोहरू, जाति–जाट, निवासी– चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, फागी दिनांक 11.05.2018
नामान्तरकरण संख्या 2652 ग्राम–चकवाडा।)

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रशेखर दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री राजाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 एवं 2 की ओर सें।
3. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2019

ग्राम–चकवाडा की आराजी खसरा नं0 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा की खातेदार गौरा पत्नी स्व0 श्री मांग्या, जाति–बारागांव ब्राह्मण राहिन रामरतन रामकंवार पुत्र मोहरू, जाति–जाट, साकिन देह मूर्तहीन की बजाय उप–खण्ड अधिकारी, फागी के निर्णय दिनांक 27.02.2003 व संशोधित निर्णय दिनांक 27.02.2018 के आधार पर रामरतन रामकवांर पुत्र मोहरू, जाति–जाट साकिन देह के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री चन्द्रशेखर दाधीच का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व वाद–ग्रस्त

Scanned by CamScanner

आराजी के खातेदार–काश्तकार गौरा के विधिक वारिसान को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर नहीं दिया गया और सारी कार्यवाही आपसी मिली–भगत से बाला–बाला पद का दुरूपयोग कर पारित की गई है जो अवैद्य होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के सभी सद्भाविक तथ्यों को नजर–अंदाज कर गलत तरीके से चुनौती अधीन आज्ञा पारित की है। वादग्रस्त आराजी की खातेदार गौरा की मृत्यु दिनांक 16.09.1970 को ही हो चुकी थी। इस प्रकार मृतक के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 प्रारंभ से ही शून्य होने से प्रभावहीन है। चुनौती–अधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व मृतक गौरा देवी का एक मात्र वारिस अपीलान्ट्स के पति/पिता रामगोपाल को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा दिनांक 19.11.2007 को घोषित किया गया है, इस तथ्य का भी अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा ध्यान नहीं रखा गया जबकि अधीनस्थ तहसीलदार को इन समस्त तथ्यों की जानकारी थी कि खातेदार गौरा के विधिक वारिस अपीलान्ट्स के पति/पिता श्री रामगोपाल है। मृतक खातेदार जाति से बारागांव ब्राह्मण है जबकि जिनके नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है वे जाति से जाट है। नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का कोई समुचित आधार यथा विक्रय–पत्र, वसीयत, गिफ्ट आदि न होने के बावजूद भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित एकतरफा अवैध डिक्री व निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया की मृतक खातेदार गौरा की अन्य आराजियात के नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पति/पिता के नाम स्वीकार किये गये है तो चुनौती अधीन आज्ञा की आराजी का नामान्तरकरण बिना सुनवाई का नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 के हक में क्यों खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की भी पूर्ण रूप से जानकारी थी कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर चुनौती–अधीन आज्ञा पारित की जा रही है वह चुनौती–अधीन है। अतः चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 11.05.2018 प्रारंभ से शून्य निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 व 27.02.2018 के आधार पर स्वीकार किये जाने से अवैध रूप से पारित की गई आज्ञा है जो न्यायोचित न होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावे। चुनौती–अधीन आज्ञा दिनांक 11.05.2018 नामान्तरकरण संख्या 2652 ग्राम–चकवाडा निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री राजाराम चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा विधि–संगत तरीके से गुणावगुण के आधार पर तथ्यों के अनुरूप सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री व आज्ञा के अनुसरण में पारित की गई है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा व डिक्री को चुनौती दिये जाने मात्र से इनकी क्रियान्विति को रोके जाने का किन्ही भी नियमों में प्रावधान नहीं है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित की गई आज्ञा व डिक्री की क्रियान्विति पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश व डिक्री की पालना किया जाना अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का नैतिक एवं न्यायिक कर्तव्य है। सैशन न्यायालय द्वारा गौरा देवी का रामगोपाल को उत्तराधिकारी घोषित किया है और आराजी सं.425 व 426 को प्राप्त करने एवं नामान्तरकरण खुलवाने हेतु उत्तराधिकारी घोषित किया है। रेस्पोडेन्ट्स के हक में पारित की गई डिक्री अधीन आराजी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। चुनौती–अधीन आज्ञा अधीन आराजी के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं रहा है। वैद्य रूप से व सक्षम न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

पारित की गई आज्ञा व डिक्री के अनुसरण में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमायी जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा तथ्यों के आधार पर विधि–अनुरूप पारित की गई है। सैशन न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त कर्ता श्री रामगोपाल द्वारा मृतक गौरा देवी संबंधी आराजियात का नामान्तरकरण उसके हक में खोले जाने का आवेदन किये जाने पर धारा 135(2) में प्रकरण को दर्ज कर तहसीलदार, फागी द्वारा दिनांक 26.05.2008 को निर्णय पारित किया किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी की खातेदारी डिक्री गौरा के विरूद्ध रामकंवार, रामरतन पुत्र मोहरू के हक में हो जाने से खाता संख्या 99 की भूमि को छोडकर ग्राम–चकवाडा की शेष खातेदारी आराजी का नामान्तरकरण गौरा के उत्तराधिकारी रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र के हक खोलने के आदेश दिये गये है। चुनौती–अधीन आराजी का रामगोपाल के हक में नामान्तरकरण नहीं खोले जाने के संबंध में आज्ञा दिनांक 26.05.2008 में आदेश दिये जाने पर भी इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। अतः अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायोचित रूप से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री चन्द्रशेखर दाधीच ने कथन किया है कि उप–खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील विचाराधीन होने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो विधि–संगत नहीं है। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि उप–खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर होता हो कि उप–खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थगित किया गया हो अथवा नामान्तरकरण की कार्यवाही पर स्थगन हो। अलबत्ता अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह स्पष्ट अंकित है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई स्थगन नहीं है। विद्वान् पेरोकार सरकार के इस कथन से भी हम सहमत है कि तहसीलदार, फागी द्वारा प्रकरण का धारा 135(2) में निस्तारण किया गया है। इसमें वादग्रस्त आराजी का उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त कर्ता के हक में नामान्तरकरण नहीं खोलने के आदेश दिये गये है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिनसे यह साबित हो कि तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) में पारित की गई आज्ञा दिनांक 26.05.2008 को चुनौती दी जाकर निरस्त कराया गया हो। उक्त विवेचनानुसार हम यह न्यायोचित पाते है कि तहसीलदार, फागी द्वारा सक्षम न्यायालय की आज्ञा व डिक्री के अनुसरण में चुनौती–अधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner